

सी.जी.-एम.एच.-अ.-02122024-259089 CG-MH-E-02122024-259089

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 959] No. 959] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 30, 2024/अग्रहायण 9,1946 NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 30,2024/AGRAHAYANA 9,1946

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 28 नवम्बर, 2024

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(निक्षेपागार और सहभागी) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024

फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/213.—बोर्ड, निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 25 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

- 1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024 कहा जा सकेगा।
- 2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
- 3. भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 में,-

7770 GI/2024 (1)

I) अध्याय VII में, विनियम 60 के बाद, एक नया विनियम 60क जोड़ा जाएगा, अर्थातु:

"नामांकन

- 60क. (1) प्रत्येक सहभागी (पार्टिसिपेंट) बेनिफिशियल ओनर (हिताधिकारी स्वामी) को ऐसे किसी व्यक्ति को, उसी प्रकार जैसा बताया जाए, नामित करने का विकल्प प्रदान करेगा, जिसे बेनिफिशियल ओनर की मृत्यु हो जाने की दशा में बेनिफिशियल ओनर के पास पड़ी प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) मिल जाएंगी।
- (2) प्रत्येक सहभागी बेनिफिशियल ओनर (हिताधिकारी स्वामी) को ऐसे किसी व्यक्ति को, उसी प्रकार जैसा बताया जाए, नामित करने का विकल्प प्रदान करेगा, जो बेनिफिशियल ओनर के अक्षम हो जाने की दशा में बेनिफिशियल ओनर की ओर से लेनदेन (ट्रांजैक्शन) करने के लिए अधिकृत होगा।
- (3) जहाँ खाता एक से अधिक व्यक्तियों के नाम पर संयुक्त रूप से खोला गया हो, वहाँ बेनिफिशियल ओनर एकसाथ मिलकर ऐसे किसी व्यक्ति को, उसी प्रकार जैसा बताया जाए, नामित कर सकेंगे, जिसे सभी बेनिफिशियल ओनर की मृत्यु हो जाने की दशा में उनके पास पड़ी प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) मिल जाएंगी।
- (4) बेनिफिशियल ओनर द्वारा किए गए नामांकन के आधार पर यदि कुछ किया जाता है, तो उसके लिए निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी) और सहभागी जिम्मेदार नहीं होंगे।"

बबीता रायुड्, कार्यपालक निदेशक [विज्ञापन-III/4/असा./724/2024-25]

पाद टिप्पण:

- 1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/40, 3 अक्तूबर, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
- 2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 तत्पश्चात्,-
 - क. 4 जून 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/20, द्वारा
 - ख. 21 फरवरी, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/04, द्वारा
 - ग. 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा
 - घ. 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/23, द्वारा
 - ङ. 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा

- च. 13 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/43, द्वारा
- छ. 26 अक्तूबर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/53, द्वारा
- ज. 23 फरवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/74, द्वारा
- झ. 2 मार्च, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/125, द्वारा
- ञ. 22 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/147, द्वारा
- ट. 10 मई, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/173, द्वारा
- ठ. 26 अगस्त, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/200, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 28th November, 2024

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (DEPOSITORIES AND PARTICIPANTS) (THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2024

- **F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/213.**—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with section 25 of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018 namely,—
 - 1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Third Amendment) Regulations, 2024.
 - 2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 3. In the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018,
 - I) In Chapter VII after regulation 60 a new regulation 60A shall be inserted, namely:

"Nomination

- 60A. (1) Every participant shall provide an option to the beneficial owner to nominate, in the manner as may be specified, a person to whom the securities held by him shall vest in the event of his death.
- (2) Every participant shall provide an option to the beneficial owner to nominate, in the manner as may be specified, a person who shall be authorized to conduct transactions on behalf of the beneficial owner in the event of the incapacitation of the beneficial owner.

- (3) Where the account is held in the name of more than one person jointly, the joint beneficial owners may together nominate, in the manner specified, a person upon whom the securities held by them shall vest, in the event of the death of all the joint beneficial owners.
- (4) The depository and participant shall not be liable for any action taken on the basis of nomination made by the beneficial owner."

BABITHA RAYUDU, Executive Director [ADVT.-III/4/Exty./724/2024-25]

Footnote:

- 1. The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on October 3, 2018 vide No. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/40.2.
- 2. The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018 were subsequently amended on,
 - 4th June, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/20.
 - b. 21st February, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/04.
 - c. 17th April, 2020, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
 - d. 5th May, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations 2021, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/23.
 - e. 3rd August, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
 - f. 13th August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2021vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/43.
 - g. 26th October 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/53.
 - h. 23rd February 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/74.
 - i. 2nd March 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/125.
 - j. 22nd August, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/147.
 - k. 10th May, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/173.
 - 26th August, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/200.